भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 5319
उत्तर देने की तारीख : 03.04.2025

एमएसई-सीडीपी के अंतर्गत परियोजनाएं

5319. श्री के.सी. वेणुगोपाल:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) के अंतर्गत स्वीकृत और पूर्ण की गई परियोजनाओं की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) एमएसई-सीडीपी के अंतर्गत अब तक किसी भी परियोजना के लिए अधिकतम कितनी सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान एमएसई-सीडीपी के लिए सरकार द्वारा कुल कितनी राशि जारी की गई है तथा इस पर वास्तव में कितनी राशि व्यय की गई है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) की शुरुआत से अब तक इस कार्यक्रम के तहत 233 सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) और 360 अवसंरचना विकास (आईडी) परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है, जिनमें से 106 सीएफसी और 247 आईडी परियोजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है।

(ख) : इस स्कीम के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार किसी भी परियोजना के लिए अधिकतम सहायता निम्नानुसार है:

i. सीएफसी की स्थापना के लिए 30.00 करोड़ रुपए तक की परियोजना लागत का 70% तक।
ii. अवसंरचना सुविधाओं के सृजन/उन्नयन के लिए 15.00 करोड़ रुपए की परियोजना लागत का 60% तक।

पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों, द्विपिय क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों और ऐसे क्लस्टरों में जहां 50% से अधिक सूक्ष्म/ग्रामीण या महिला स्वामित्व वाली या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाली इकाइयां होने की स्थिति में 10% अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) : विगत प्रत्येक पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान एमएसई-सीडीपी के लिए सरकार द्वारा जारी की गई कुल राशि तथा व्यय की गई वास्तविक राशि निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	**बजट आवंटन (करोड़ रुपए में)**	**उपयोग किया गया बजट (करोड़ रुपए में)**
2019-20	227.90	226.34
2020-21	116.28	116.28
2021-22	156.50	135.59
2022-23	120.00	119.54
2023-24	180.00	169.00
2024-25	293.84	291.62

******